"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280-अ ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2010—कार्तिक 6, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

क्रमांक एफ 06/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/10/2971 रायपुर, दिनांक 03-11-2010

**प्रकरण क्रमांक एफ-06/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010**

कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसंबर 2009 नगर पंचायत तखतपुर जिला-बिलासपुर, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 28 अक्टूबर 2010

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत तखतपुर के अध्यक्ष पद के लिये आम निर्वाचन का परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया, जिसमें कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 15 फरवरी 2010 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 द्वारा अवगत कराया कि नगर पंचायत तखतपुर के आम निर्वाचन 2009 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू, द्वारा निर्वाचन परिणाम की

घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले उपरोक्त अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना दिनांक 6 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू को दिनांक 16 मार्च 2010 को तामील किया गया है. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी को विधिवत् तामील होने के उपरांत ही उनके द्वारा अपना जवाब दिनांक 22 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू ने अपने लिखित जवाब में यह उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा उनके द्वारा तैयार कर लिया गया था किन्तु उनके परिवार में दुखद स्थिति निर्मित हो जाने के कारण वे निर्धारित समय पर निर्वाचन व्यय लेखा स्वयं प्रस्तुत नहीं कर पाये. निर्वाचन व्यय लेखा अपने अभिभाषक एवं निर्वाचन अभिकर्ता श्री प्रदीप तिवारी को प्रस्तुत करने हेतु दिया था किन्तु प्रदीप तिवारी अपनी पत्नी श्रीमति संगीता तिवारी के पंचायत निर्वाचन में भाग लेने के कारण उसमें व्यस्त हो गये तथा वे भी निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहे. जिसके कारण निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से उनके द्वारा दिनांक 5 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया. उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विलंब के लिए क्षमा याचना भी की गई. अभ्यर्थी कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू को दिनांक 24 सितम्बर 2010 तथा दिनांक 21 अक्टूबर 2010 को समक्ष में सुनवाई का अवसर देकर सुना गया. अपने पक्ष के समर्थन में दिनांक 21 अक्टूबर 2010 को उक्त अभ्यर्थी ने अपने स्वयं का तथा अपने निर्वाचन अभिकर्ता श्री प्रदीप तिवारी का शपथ पत्र अपने जवाब की पुष्टि में प्रस्तुत किया..

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अभ्यर्थी कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बिलासपुर ने अपने ज्ञापन क्रमांक न.पा.आ.नि./निर्वा. व्यय लेखा/2010/861, दिनांक 11 जून 2010 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 5 मार्च 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया जबकि निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख 27 दिसम्बर 2009 से 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाना था. निर्वाचन परिणाम की घोषण के पश्चात् 30 दिवस की अवधि अभ्यर्थी को व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त है. व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विलम्ब के संबंध में प्रेषित जवाब संतोषजनक नहीं है. किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा अपने विधिक सलाहकार एवं निर्वाचन अभिकर्ता को दायित्व सौंपकर अपने दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है. अतएव अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्धारित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है. अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत तखतपुर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया तथा अभ्यर्थी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है; अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी कृष्णकुमार (मुन्ना) साहू प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तद्नुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी कृष्ण कुमार (मुन्ना) साहू निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष दस माह की कालावधि के लिये नगरपंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निर्हरित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

5. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 28 अक्टूबर 2010 को जारी किया गया.

हस्ता./-

**(पी. सी. दलेई)**
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.